



साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED

(एक मिनी रत्न कम्पनी / A Mini Ratna Company)

सीआईएन नं० / CIN No. U10102CT1985GOI003161

पंजीकृत कार्यालय-सीपत रोड, बिलासपुर जिला-बिलासपुर(छत्तीसगढ़) 495006
REGD. OFFICE- SEEPAT ROAD, BILASPUR, DISTT.-BILASPUR (C.G)-495006

कार्मिक एवं एनईईविभाग

क्रमांक- एसईसीएल/बीएसपी/का./एनईई/पदोन्नति/2022/817

दिनांक-11. 03. 2022

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर एसईसीएल के कोरबा क्षेत्र में ड्रेसर ग्रेड-1 तक. एवं. पर्य. ग्रेड डी के पद पर कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारी की पदोन्नति एतद् द्वारा सीनियर ड्रेसर/ओ.टी. असिस्टेंट तक. एवं. पर्य. ग्रेड-सी के पद पर 10 वां वेतन समझौता के वेतनमान रु 31852.56 में तत्काल प्रभाव से की जाती है तथा अग्रिम आदेश तक उनकी पदस्थापना उनके वर्तमान कार्यस्थल/क्षेत्र/इकाई में ही रहेगी :

Sl. No.	NEIS No	Name of Employee (Shri)	Place of Posting
1	1315951	SHYAMLAL SAHU	KORBA


उपरोक्त कर्मचारी को सलाह दी जाती है कि वे पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अपने महाप्रबंधक /नियंत्रण अधिकारी के समक्ष अपना कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। पदोन्नति के फलस्वरूप आर्थिक लाभ पदोन्नत ग्रेड में कार्यभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी होगा।

संबंधित कर्मचारी पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः महीने की अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि में रहेंगे तथा तत्पश्चात् उनका अपने पदोन्नत पद पर बने रहना उनके नियंत्रण अधिकारी से, परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक कार्य प्रतिवेदन पर निर्भर होगा। यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान संबंधित कर्मचारी का कार्य प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में बिना किसी कारण बताये /क्षतिपूर्ति के या तो उनकी परिवीक्षा अवधि को बढ़ाया जा सकता है या उन्हें अपने पूर्व पद पर पदावनत (रिवर्ट) करने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा।

पुनः सम्बंधित कर्मचारी के द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज/तथ्य गलत पाये जाने पर, बिना किसी पूर्वसूचना के पदोन्नती आदेश निरस्त करने के साथ ही विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रबंधन स्वतंत्र होगा।

पदोन्नत पद पर एक माह की अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी की पदोन्नति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है।


उप प्रबंधक (कार्मिक/एनईई),
एसईसीएल, मुख्यालय, बिलासपुर.

वितरण

1. सम्बंधित क्षेत्रीय महाप्रबंधक ,एसईसीएल समस्त क्षेत्र.
2. महाप्रबंधक(कार्मिक एवं प्रशासन), एसईसीएल, बिलासपुर.
3. प्रमुख चिकित्सा सेवायें, एसईसीएल , बिलासपुर
4. महाप्रबंधक(वित्त), एसईसीएल, बिलासपुर.
5. महाप्रबंधक (सिस्टम), एसईसीएल, बिलासपुर.
6. महाप्रबंधक (औ.अभियां.), एसईसीएल, बिलासपुर.
7. मुख्य प्रबंधक (का./एनईई.),एसईसीएल बिलासपुर.
8. संबंधित क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक से अनुरोध है कि उनके क्षेत्रांतर्गत पदोन्नत कर्मचारियों के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत इस कार्यालय को अविलम्ब सूचित करने का कष्ट करें एवं सम्बंधित पदोन्नत कर्मचारी के शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित संस्थान से करवाना सुनिश्चित करें। सत्यापन में किसी प्रमाण पत्र के गलत पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करें।
9. क्षेत्रीय वित्तप्रबंधक,एसईसीएल समस्त क्षेत्र.
10. संबंधित पदोन्नत कर्मचारी- द्वारा सम्बंधित क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक.